



2025:AHC:15779

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या - 1710 सन् 2026

इरफान

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अम्बरीन मसूर, सदरुल इस्लाम जाफरी, वरिष्ठ
अधिवक्ता

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,

1. श्री अभिजीत प्रताप सिंह, विद्वान अधिवक्ता ने आज न्यायालय में सूचनादाता की ओर से अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया है, जिसे अभिलेख पर लिया जाता है।
2. आवेदक की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एन.आई. जाफरी, जिनकी सहायता श्री सदरुल इस्लाम जाफरी, अधिवक्ता द्वारा की गई, सूचनादाता की ओर से श्री अभिजीत प्रताप सिंह, अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोपों के अनुसार आवेदक ने सह-अभियुक्त आस मोहम्मद, फारूक एवं रफीक के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया तथा उसका वीडियो भी बनाया गया। आगे यह भी कहा गया है कि अभिलेख पर ऐसा कोई वीडियो उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो सके कि कथित अपराध के संबंध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में कोई वीडियोग्राफी की गई थी। आगे यह भी कहा गया है कि पीड़िता विवाहित महिला है तथा उसने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने कथन में भी वही कथन दोहराया है, किन्तु आवेदक के अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान पीड़िता के पति के धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज कथन की ओर आकृष्ट किया है और तर्क दिया है कि उसने कहा है कि तीन वर्ष पूर्व उसकी पत्नी और आवेदक के मध्य अवैध संबंध स्थापित हो गए थे, जिसके कारण उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। इद्दत अवधि पूर्ण होने के पश्चात उसने पीड़िता का विवाह अभियुक्त-इरफान से करा दिया। बाद में उसने उसे तलाक दे दिया, तत्पश्चात उसने पुनः पीड़िता से विवाह किया। विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वास्तव में पीड़िता सहमति देने वाली पक्षकार है तथा आवेदक को वर्तमान प्रकरण में गलत उद्देश्य से झूठा फँसाया गया है। आरोपों की असत्यता प्रदर्शित करने हेतु अन्य कई तर्क भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। वे परिस्थितियाँ भी बताई गई हैं जिनके कारण, अधिवक्ता के अनुसार, अभियुक्त को झूठा फँसाया गया। आवेदक की ओर से यह आश्वासन भी दिया गया है कि वह विधि की प्रक्रिया में सहयोग करने हेतु तैयार है तथा जब भी न्यायालय द्वारा अपेक्षित होगा, वह निष्ठापूर्वक उपस्थित होगा और न्यायालय द्वारा आरोपित सभी शर्तों को स्वीकार करने हेतु भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि आवेदक दिनांक 12.12.2025 से कारागार में निरुद्ध है।

3. इसके विपरीत, विद्वान शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने यह कहते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध किया कि विचारण-पूर्व अवस्था में आवेदक की निर्दोषता का निर्णय नहीं किया जा सकता, अतः वह किसी प्रकार की उदारता का अधिकारी नहीं है।

4. बार में प्रस्तुत तर्कों के आलोक में अभिलेख का अवलोकन करने के पश्चात तथा इस प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों, साक्ष्य की प्रकृति तथा साक्ष्य से छेड़छाड़ की संभावना को इंगित करने वाली किसी ठोस सामग्री के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए, तथा प्रकरण के गुण-



दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इस मत का है कि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

5. अतः आवेदक **इरफान**, जो मुकदमा अपराध संख्या 1008 सन् 2025, अंतर्गत धाराएँ 64(1), 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता, थाना- खुर्जा नगर, जनपद- बुलंदशहर में संलिप्त है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो स्थानीय भारी जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक अभियोजन साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन गवाहों को धमकाएगा या परेशान नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत तिथि पर उपस्थित होगा।
 - (iv) आवेदक उस अपराध के समान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा, जिसके लिए वह अभियुक्त है या जिसके किए जाने का संदेह है।
 - (v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को, जो प्रकरण के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे वह ऐसे व्यक्ति को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष तथ्य प्रकट करने से विरत कर सके या साक्ष्य से छेड़छाड़ कर सके।
7. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में विचारण न्यायालय विधि के अनुसार आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।
8. जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी,)

जनवरी 21, 2026

एस. अली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।